न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/4298/2001/हनुमानगढ

गुरनामकौर विधवा कौर सिंह जाति जट सिख निवासी अलायकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

अपीलार्थी

बनाम

1. नायब सिंह 2. भोला सिंह पुत्रगण जंग सिंह जाति जट सिख निवासी अलायकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. राजस्थान राज्य

रेस्पोडेन्टस

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित

श्री मनीश पाण्डिया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सतवीर सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4–7–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी वादी द्वारा एक वाद करतार सिंह एवं जंग सिंह पुत्रगण दलीप सिंह के विरूद्ध अधिनियम

की धारा 88 व 188 के तहत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 भोला सिंह व नायब सिं ह द्वारा उन्हें पक्षकार बनाये जाने हेतु अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें प्रतिवादी संख्या 4व 5 बनाया गया। दूसरा वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत प्रत्यर्थीगण भोला सिंह व नायब सिंह द्वारा सहायक जिलाधीश सूरतगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को इकजाई कर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल नौ तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 4–4–2001 से अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–7–2001से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि जहां तक इच्छापत्र में सम्पति के वर्णन का प्रश्न हैं, यह कतई आवश्यक नहीं है कि सम्पति का अक्षरशः वर्णन किया जावे। इच्छा पत्र में मात्र अपनी सम्पति को किसी व्यक्ति को देने की इच्छा का उल्लेख होना चाहिये एवं यदि किसी सम्पति का वर्णन नहीं किया गया है तो भी यह नहीं माना जा सकता कि इच्छा पत्र त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि इच्छा पत्र मृतक की अन्तिम इच्छा का परिणाम होता है एवं यह कतई आवश्यक नहीं है कि उसमें समस्त सम्पति का विवरण हो। अपीलार्थी द्वारा वाद जुलाई

1986 में प्रस्तुत किया गया था एवं यह स्पष्ट किया गया था कि वाद प्रस्तुति के एक माह पूर्व अपीलार्थी के पति का देहान्त हो चुका है एवं मृत्यु की दिनांक 9–5–86 सिद्ध है एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में जो वसीयत की गई है वह स्वयं अप्रार्थीगण के कथनानुसार दिनांक 10–5–86 को की गई है जो कि मृत्यु से मात्र नौ दिन पहले की गई है जो पूर्णतया सन्देहास्पद है। क्योंकि राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 6–6–86 यह स्पष्ट करता है कि कौर सिंह पुत्र दलीप सिंह आयु 78वर्ष को दिनांक 17–5–86 को राजकीय अस्पताल हनुमानगढ में भर्ती किया गया था एवं दिनांक 19–5–86 को शाम साढे पांच बजे अस्पताल से मेडिकल सलाह के विरूद्ध छुट्टी दी गई थी। उसकी हालत उस समय गम्भीर थी। इस प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि मृतक कौर सिंह अपनी मृत्यु से पूर्व स्वस्थ नहीं था जबकि अपीलार्थी के पक्ष में लगभग एक वर्ष पूर्व ही वसीयत की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में तथाकथित वसीयत दिनांक 10–5–86पूर्णतया सन्देह के घेरे में आती है। इस बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विचार नहीं किया। उनका तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए आई आर 1990 एस सी पेज397 एवं ए आई आर 1965 एस सी पेज354 में उत्तरवादी के पक्ष में की गई वसीयत को नैसर्गिक नहीं माना गया है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी एकमात्र पत्नी को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वसीयत करेगा, यह स्वाभाविक नहीं है। वर्तमान प्रकरण में उत्तरवादीगण प्रतिवादीगण मृतक कौर सिंह के भाई जंग सिंह के पुत्र हैं। अर्थात मृतक कौर सिंह के भतीजे हैं। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने स्पष्ट किया है कि मृतक कौर सिंह की अपने भतीजों से कतई नहीं बनती थी एवं मृतक कौर सिंह अपने भतीजों के घर आना जाना नहीं रखता था अपितु उसने यहां तक कहा कि

वह उनका मुह भी नहीं देखेगा। इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि कौर सिंह को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह उत्तरवादीगण के पक्ष में वसीयत करता। यदि थोडी देर के लिये यह मान भी लिया जावे कि मृतक कौर सिंह द्वारा अपनी वसीयत उत्तरवादीगण के पक्ष में की गई है तो भी तथाकथित वसीयत दिनांक 10–5–86 में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वह अपनी पूर्व निष्पादित वसीयत को निरस्त करता है क्योंकि यह तो स्वाभाविक है कि पूर्व वसीयत दिनांक 19–9–85 पंजीकृत इच्छा पत्र था जिसका संज्ञान था एवं यदि मृतक कौर सिंह अपनी सूझबूझ से तथाकथित वसीयत दिनांक 10–5–86 करता तो अवश्य पूर्व वसीयत के बारे में स्पष्टीकरण देता।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु संख्या 4 व 5 को एक मानकर निर्णय पारित किया गया है। इसमें मुख्य प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी स्व.कौर सिंह की विधवा है अथवा वह कुवारा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इस बिन्दु का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध किया है। जिसका आधार यह बताया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसरण में वादिनी व कौर सिंह का कथित पुर्नविवाह व्यर्थ है एवं प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी का कौर सिंह की वैध पत्नी होने के तथ्य को पुर्नविवाह साक्ष्य के आधार पर खण्डित किया है। वस्तुतः यह निष्कर्ष पूर्णतया निराधार है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी डब्लू–1 से लेकर पी डब्लू–4 व पी डब्लू 1–ए व 2–ए द्वारा एकराय से कहा गया था कि वादिनी 10–11 साल पूर्व से ही स्व.कौर सिंह के साथ करेवा– पुर्नविवाह कर पत्नी के रूप में रह रही थी। जिसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक का अवलम्ब लिया गया था जबकि प्रतिवादीगण का तर्क था कि ऐसा कोई रीतिरिवाज जट सिख जाति में नहीं है कि पूर्व पति से तलाक लिये बिना अन्य व्यक्ति से करेवा किया जा

सके। वादिनी कौर सिंह की पत्नी है अथवा नहीं, इस प्रश्न को निर्णित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है अपितु जो व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठाता है उसे व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना पडेगा क्योंकि अपीलार्थी वादनी विधिवत रूप से कौर सिंह की पत्नी सिद्ध है जिसके लिये विचारण न्यायलय के समक्ष राशन कार्ड भी प्रस्तुत किया गया है एवं समस्त साक्षियों ने एक राय होकर कहा है कि गुरनामकौर कौर सिंह की पत्नी है। यदि तर्क के लिये यह भी स्वीकार किया जावे कि वह मात्र उसके साथ रहती थी तो भी इच्छा पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसके लिये कोई सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। यदि मृतक की इच्छा है, वह ऐसे व्यक्ति से स्नेह रखता है तो अपनी स्व अर्जित सम्पति की वसीयत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है। जबकि वादनी तो उसकी पत्नी सिद्ध है जो उसकी एकमात्र उत्तराधिकारिणी है। इसलिये दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर अपीलार्थी वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद वादिनी के पक्ष में निर्णित किया जावे।

6. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि दलीप सिंह के तीन पुत्र थे जिनमें से कौर सिंह व करतार सिंह ला औलाद फौत हुये हैं तथा मृतक जंग सिंह के दो पुत्र जो प्रत्यर्थी हैं विवादत भूमि के एकमात्र वारिस हैं। अपीलार्थी का दावा दो बिन्दुओं पर आधारित था। प्रथम कि वह कौर सिंह की पत्नी है। दूसरा कौर सिंह की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में है। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलार्थी भाग सिंह की पत्नी है तथा भाग सिंही अभी भी जीवित है। विवादित भूमि मृतक कौर सिंह को आवंटन शुदा आराजी है। प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1नियम 10 के साथ उनके पक्ष में की गई वसीयत पेश की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कहना कि वसीयत देरी से पेश की गई थी सही नहीं है। विचारण न्यायालय ने दोनों दावों को इकजाई कर

दोनें दावों में बनाये गये विवादक बिन्दुओं को निर्णित किया है। तनकी संख्या 3 व 7 को एक साथ निर्णित किया है। वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है तथा सादे कागज पर भी की जा सकती है। तथा कानूनन अन्तिम वसीयत को मान्यता मिलेगी। अपीलार्थी के भाग सिंह की पत्नी होने के बारे में प्रदर्श डी–5 से प्रदर्श डी–11 तक सबूत पेश किये हैं। प्रस्तुत मतदाता सूचि व राशन कार्ड की प्रति से यह सिद्ध है कि अपीलार्थी भाग सिंह की पत्नी है। पूर्व पति के जीवित रहते हुये कोई हिन्दू नारी अन्य की पत्नी नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 व 11 महत्वपूर्ण हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में RRT 2001 page ४४३व ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 176/2015 में पारित निर्णय दिनांक 20–1–2015 पेश किया।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

8. विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 व 5 कायम की है उसमें तनकी संख्या 4 यह है कि आया वादिया स्व.कौर सिंह की पत्नी व जायज वारिस नहीं है, आया कौर सिंह कुवारा ही फौत हुआ था व उसका गुरनाम कौर के साथ नाजायज ताल्लुक था? इन दोनों तनकीयों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी अपना वाद मृतक कौर सिंह की विधवा के रूप में लेकर आई है जिसने अपने वाद में यह अंकित नहीं किया है कि उसने कोई करेवा मृतक कौर सिंह से किया हो। अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि उसने मृतक कौर सिंह से रीति रिवाज के अनुसार करेवा किया था जिसके सम्बन्ध

में शपथ पत्र प्रदर्श पी–1 होना बताया है। मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहो ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी वादिया लम्बे समय से अर्थात 10–11 साल से करेवा कर बतौर पत्नी रह रही थी तथा इतने समय तक बतौर पत्नी रहना उनके वैध विवाह की अवधारणा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अपीलार्थी स्व. कौर सिंह की शादी शुदा पत्नी नहीं है और हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार अपीलार्थी को शादी शुदा पत्नी नहीं माना जा सकता है। करेवा करने के सम्बन्ध में जो साक्ष्य पत्रावली पर आई है वह विरोधाभासी है। गवाह बलकरण सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि गुरनाम कौर का मृतक कौर सिंह से 7–8 साल पहले करेवा हुआ था करेवा की रस्म के समय वह वहां पर मौजूद नही था। इसके विपरीत अपीलार्थी ने बतौर गवाह कथन किया है कि करेवा के समय दर्शन सिंह और बलकरण सिंह मौजूद थे तथा और कोई मौजूद नहीं था। बलकरण सिंह व गुरनाम कौर के बयानों में भिन्नता है तथा करेवा की रस्म ऐसे नहीं हो सकती जिसमें मात्र दो गवाह की उपस्थिति रही हो। करेवा के सम्बन्ध में जो शपथ पत्र प्रदर्श–1 प्रस्तुत किया गया है उसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं है तथा यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि गुरनाम कौर भाग सिंह की पत्नी थी जिससे उसके औलाद भी हुई थी तथा गुरनाम कौर का उसके पति भाग सिंह से कोई तलाकनामा मंजूर नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के बयान महत्वपूर्ण हैं जिसमें वह जिरह में कथन करती है कि उन्होंने एक दूसरे को तलाक अदालत में दिया था तथा तलाकनामा का कागज पहले था अब नहीं है। इस बयान से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी का तलाक अपने पति भाग सिंह से नहीं हुआ था। हिन्दू विवाह अधिनियसम की धारा 5 व 11 के अनुसार पूर्व पति के तलाक हुये बिना अपीलार्थी दूसरी शादी करने के लिये कानूनन सक्षम

नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा कौर सिंह से बताई गई शादी जरिये करेवा प्रभावहीन व शून्य है तथा कानून की निगाह में मान्यता प्राप्त नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी–6 से प्रदर्श डी–10में अपीलार्थी को भाग सिंह की पत्नी दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी वादिया का वैध पत्नी व वारिस होना प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4व5 प्रतिवादीगण के पक्ष में सही रूप से निर्णित की हैं।

9. विचारण न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 3 यह थी कि आया मृतक कौर सिंह ने वादिया गुरनाम कौर के हक में दिनांक 19–9–85 को वसीयत तहरीर व तकमील करवाकर उप पंजीयक हनुमानगढ से तस्दीक कराई है यदि ऐसा है तो दावे पर इसका क्या असर है। सातवीं तनकी यह थी कि आया कौर सिंह ने अपने जीवनकाल में नायब सिंह व भोला सिंह पिसरान जंग सिंह के नाम वसीयत निष्पादित की है। तनकी संख्या 3 का भार वादिया पर तथा तनकी संख्या 7 का भार प्रतिवादीगण पर था। वादिया के पक्ष में कराई गई वसीयत प्रदर्श–2 है तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में कराई गई वसीयत प्रदर्श डी–4 है। वादिया के पक्ष में कराई गई वसीयत मूल पेश नहीं हुई है,प्रतिलिपि के रूप में पेश हुई है। जबकि प्रदर्श डी–4 जो प्रतिवादीगण के पक्ष में है, मूल रूप में पेश हुई है। इस प्रकरण में पहली वसीयत 1985 की है तथा दूसरी वसीयत दिनांक 10–5–86 की है। कानून में अन्तिम वसीयत को मान्यता प्रदान की गई है और आखिरी वसीयत दिनांक 10–5–86 को प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध कराया गया है। पूर्व वसीयत दिनांक 19–9–85 में भूमि का विवरण अंकित नहीं होना तथा असल वसीयत पेश नहीं होना आदि ऐसे बिन्दु हैं जो पूर्व वसीयत को संदिग्ध बनाते हैं। इसलिये पूर्व वसीयत की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किये हैं

और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हम बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224 readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findkigs recorded are illegal or purchase in nuture, till lthen this court cannot disturb the concurent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

10. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष